15/5/25 पत्रावली पेश हुई आज ...ब्यार किशनगढ़...
.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/5/25 को
पेश हो।

30/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील ... उपस्थित।
P.O. ... / ... / ... / ...
पर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार जवाब
दिनांक 8/8/25 को पेश हो।

8/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० । वकील प्रतिवादी को बार-बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली तहसील मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 20/8/25 को पेश हो।

मौका रिपोर्ट प्राप्त

20/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. ...तहसील ... रिपोर्ट प्राप्त
...बास्ते बहस हेतु...
पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

21/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. । बास्ते ... बहस हेतु
....
पत्रावली दिनांक 28/11/25 को पेश हो
उपखण्ड अधिकारी
अरांई

28/11/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० । बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 7/1/26 को पेश हो।

7/1/26. पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० । निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में दाखिल हो।

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम (अराई) अजमेर
व इजलास श्रीमति नीतु मीना (आर.ए.एस)
मुकदमा न0 75/2023

1. मथुरा देवी पत्नी रामकरण जाति गुर्जर आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अंराई जिला अजमेर
2. माना देवी पत्नी रोडू जाति गुर्जर आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अंराई जिला अजमेर
3. सायर देवी पत्नी हरि जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अंराई जिला अजमेर
4. सुप्यार पत्नी रतनलाल जाति गोस्वामी आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अंराई जिला अजमेर
5. बनवारी पुत्र रतन लाल जाति गोस्वामी आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अंराई जिला अजमेर
6. मदनलाल पुत्र रतन लाल जाति गोस्वामी आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अंराई जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. जालम सिंह पुत्र श्री लालसिंह जाति रापजूत निवासी ग्राम देवपुरी तहसील अंराई जिला अजमेर
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवपुरी हाल निवासी नाडीया वाला बालाजी के सामने मझेला रोड, मदनगंज–किशनगढ़
3. नन्द कंवर पत्नी स्व. दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवपुरी हाल निवासी नाडीया वाला बालाजी के सामने मझेला रोड, मदनगंज–किशनगढ़
4. भंवर कंवर पुत्री स्व. दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवपुरी हाल निवासी नाडीया वाला बालाजी के सामने मझेला रोड, मदनगंज–किशनगढ़
5. राजकंवर पुत्री स्व. दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवपुरी
हाल निवासी नाडीया वाला बालाजी के सामने मझेला रोड, मदनगंज–किशनगढ़
6. सोनू कंवर पुत्री स्व. दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम देवपुरी हाल निवासी नाडीया वाला बालाजी के सामने मझेला रोड, मदनगंज–किशनगढ़
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब अंराई

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक: 7/1/26

उपस्थितः वकील प्रार्थी डी0सी0सेठी एडवोकेट

वकील अप्रार्थी कुश कुमार राठौड

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री डी0सी0सेठी के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ग्राम देवपुरी तहसील अंराई स्थित खसरा नम्बर 63 रकबा 8.5350 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसका प्रतिवादी जालम सिंह 1/2 हिस्से का व प्रतिवादी देवेन्द्र सिंह 1/10 हिस्से का व प्रतिवादी नन्दकंवर पत्नी दशरथ सिंह 1/10 हिस्से का व प्रतिवादी भंवर कंवर 1/10 हिस्से का व प्रतिवादी राजकंवर 1/10 हिस्से का व प्रतिवादी सोनु कंवर का 1/10 हिस्से के खातेदार कब्जेदार है। ग्राम देवपुरी स्थित खसरा नम्बर 64 रकबा 0.6472 हैक्टेयर स्थित है जिसकी प्रार्थिया मथुरा देवी 1/3 हिस्से का व प्रार्थिया माना देवी 1/3 हिस्से की व प्रार्थिया सायर देवी 1/3 हिस्से की खातेदारी कब्जेदार है। ग्राम देवपुरी स्थित खसरा नम्बर 1130/64 रकबा 0.6472 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसकी प्रार्थिया सुप्यार खातेदार कब्जेदार है। ग्राम देवपुरी स्थित खसरा नम्बर 1131/64 रकबा 2.6535 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके प्रार्थी बनवारी 1/2 हिस्से का व प्रार्थी मदन 1/2 हिस्से का खातेदार कब्जेदार है। ग्राम देवपुरी स्थित खसरा नम्बर 859/145 व 860/145 जिसके पुराने खसरा नम्बर 145 है। मौके पर यह गै.मु. रास्ता पक्की

सड़क है। और खसरा नम्बर 860/145 व खसरा नम्बर 63 के मध्य राजकीय भूमि है। प्रार्थीगण नजरी नक्शे में दर्शित ए. स्थान मुख्य सड़क से पूर्व से ही अपने खेत में जाने के लिए पक्की सड़क से राजकीय भूमि में से होकर खसरा नम्बर 63 की दक्षिणी सीमा से होते हुए नजरी नक्शे में दर्शित ए.बी. सी. रास्ते से अपने खेतो में कृषि कार्य करने हेतु यह 15 फीट का रास्ता उपयोग उपभोग में लाते रहे है और इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वक्लिपक रास्ता नही है लेकिन कभी कभी अप्रार्थीगण इस रास्ते मे अवरोध पैदा कर देते है तो प्रार्थीगण की कृषि कार्य में बहुत बड़ी गंभीर बाधा पैदा होती है और विवाद होता है। क्योंकि नजरी नक्शे ए. से बी. 15 फीट का रास्ता है। अप्रार्थीगण के द्वारा रास्ते का कभी कभी अवरोध करने से प्रार्थीगण की कुछ भूमि का कृषि विकास नही हो सका तथा प्रार्थीगण के पशु भी नही आ जा सकते तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी काश्त की हुई फसल का रख रखाब दवाई देने नही जा सकते। प्रार्थीगण मुख्य सड़क नजरी नक्शे में दर्शित ए. से बी. रास्ते से होकर पूर्व में बी. से सी. रास्ते से होकर अपने खेतों का विकास करते आ रहे है और नक्शे में दर्शित ए.बी. रास्ता रिकार्डेड नही होने से प्रार्थीगण बड़ी गंभीर बाधा का सामना करना पड़ रहा है और बी. से सी. रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी में है अतः नजरी नक्शे में दर्शित खसरा नम्बर 860/145 ए. से. बी. रास्ता 15 फीट रिकार्डेड प्राप्त करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण पेश किया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास नही है यह रास्ता प्रार्थीगण के लिए सुगम निकटतम रास्ता है। उक्त नक्शे में दर्शित ए. से बी. रास्ता राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड नक्शे में दर्शित नही होने के कारण आये दिन अप्रार्थी उक्त रास्ते को बन्द कर देते है जबकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आने जाने का मात्र रास्ता यही रहा है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया ए. बी. रास्ता प्राप्त करने के लिए और राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए प्रार्थीगण डी.एल.सी. की दर से अप्रार्थीगण को भुगतान करने के लिए तत्पर एवं तैयार है।अप्रार्थी संख्या 7 राजकीय भूमि के व भू–धारी होने से पक्षकार बनाये गए है। आधुनिक युग है प्रार्थीगण को अपने कृषि यंत्र को ले जाने के लिए व कृषि फसल लोन ले जाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रेक्टर ले जाने के लिए 15 फीट का चौड़ा व ए. से बी. रास्ता रिकार्ड में दर्ज करने के लिए यह रास्ता चाहा गया है। प्रार्थीगण की देवपुरी स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 64 व 1130/64 व 1131/64 में आने–जाने के लिए खसरा नम्बर 860/145 मुख्य सड़क से खसरा नम्बर 63 व सरकार भूमि में से प्रार्थीगण द्वारा पेश नजरी नक्शे में ए. से बी. 15 फीट चौडे रास्ते का राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने तरमीम करोन के आदेश प्रदान करावे तथा उक्त रास्ते बाबत प्रार्थीगण द्वारा पेश नक्शे व प्रार्थना पत्र की श्रीमान् तहसीलदार अंराई व हल्का पटवारी गिरदावर से सम्पूर्ण जॉच करवाकर रास्ते के लिए नाप मे निकली भूमि का डी.एल.सी. दर से अप्रार्थीगण को राशि प्रार्थीगण से भुगतान करने के निर्देश प्रदान करावे। अन्य अनुतोष जो अदालत उचित समझे प्रार्थीगण को दिलवाने की कृपा करावे।

अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को दिनांक 5.4.2024 को विधिवत नोटिस तामिल हुये। दिनांक 03.5.2024 को तहसीलदार अरांई द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार अराई द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम देवपुरी के खसरा नं0 64,1130/64,1131/64 में आवागमन हेतु खसरा नं0 63 के अतिरिक्त अन्य निकटतम एवं वैकल्पिक मार्ग नही है । हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है अतः तहसीलदार अराई की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 15 चोडे रास्ते हेतु स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें है:–

–: आदेश :–

प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम देवपुरी तहसील अराई खसरा नं0 64,1130/64,1131/64 में में आवागमन हेतु प्रार्थी ने ख0नं0 63 में चाहा गया रास्ता निकटतम होना अंकित किया है । तहसीलदार अराई कीजांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0/2025/6257 दिनांक 15.10.2025 के अनुसार भूमि अधिग्रहित की जाकर वाद अधीन भूमि खसरा नं0 64,1130/64,1131/64 हेतु 15 फीट चोडे रास्ते हेतु ख0नं0 63 की 0.0841 हैक्टेयर भूमि का प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 7,60,000/– अनुसार मूल्य 14592/– रूपये बनती है

wb

जिसकी दुगुना राशि 29184/— अक्षरे उनतीस हजार एक सो चोरासी रूपये होगी जो प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443—00—103—00—00 प्रतिभूति जमा की जायेगी ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वाद अधीन भूमि खसरा नं0 64,1130/64,1131/64 में आवागमन हेतु 15 फुट चोडे रास्ते हेतु राशि 29184/— प्रार्थी द्वारा 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजिट के मद 8443—00—103—00—00 प्रतिभूति जमा की जायेगी । प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा तहसीलदार अराई के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार अराई को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात उनकी रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करे ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 7/1/26 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)